



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124815

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 21449 वर्ष 2026

डॉ. सत्यकेतु जयसवाल एवं एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	आशुतोष कुमार पांडे
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	आलोक रंजन मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 32

माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचोरी,

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार पांडे, प्रतिपक्षी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक रंजन मिश्रा और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एम.के. सिंह को सुना और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत यह आवेदन सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/एफटीसी-प्रथम/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके द्वारा आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आक्षेपित आदेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना और याचिकाकर्ता के विरुद्ध मामला(ले) दर्ज होने की स्थिति में विदेश जाने की अनुमति के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और दिशानिर्देशों पर विचार किए बिना पारित किया गया है।

4. इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदकों ने सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) एफटीसी-प्रथम/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली के समक्ष पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देने के लिए आवेदन दायर किया था, लेकिन उपरोक्त प्रकरण वाद संख्या 3681 वर्ष 2018, अंतर्गत धारा 406, 504, 506 के लंबित होने के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने उनके पक्ष में पासपोर्ट जारी करने को अस्वीकार कर दिया।

5. याचिकाकर्ता सरल, सामाजिक और शिक्षित व्यक्ति हैं। वे अपनी संस्था के बेहतर प्रबंधन के लिए सेमिनार और “संगोष्ठी” के संबंध में विदेश जाना चाहते हैं। पुलिस ने उन्हें उपरोक्त मामले में झूठा फंसाया है, जिसकी कार्यवाही को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 30368 वर्ष 2018 में आदेश दिनांक 19.09.2018 के द्वारा स्थगित कर दी है।

6. भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तथ्यात्मक स्थिति को अस्वीकार नहीं किया है और स्वीकार किया है कि दाखिल करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज शेष नहीं है।

7. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने **सलीम खान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, 2019 (132) इलाहाबाद लॉ रिपोर्ट 286 (डी.बी.)** में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष जहाँ आपराधिक कार्यवाही लंबित थी, विदेश जाने की अनुमति के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी और यदि अनुमति दी जाती है तो याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करने के लिए न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के साथ पासपोर्ट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। इस न्यायालय की पीठ के आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

“धारा 6(2)(एफ) के मनमाने और अनुचित होने के तर्क को खारिज कर दिया गया, हालांकि, ऊपर उद्धृत अधिसूचना दिनांक 25.08.1993 पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 6(2)(एफ) के अंतर्गत प्रतिबंध पूर्ण नहीं था, बल्कि उचित मामलों में, जिस न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लंबित है, उसकी अनुमति से इसमें ढील दी जा सकती है। न्यायालय ने वास्तव में यह अभिनिर्धारित

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया कि उपर्युक्त प्रावधानों का उद्देश्य यह था कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को विदेश जाने की अनुमति देना राज्य और समाज के हित के विरुद्ध था, हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिसूचना दिनांक 25.08.1993 के दृष्टिगत यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह प्रतिबंध पूर्णतः लागू नहीं था।

इस मामले को देखते हुए, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता को आपराधिक न्यायालय में जहाँ उसके विरुद्ध परीक्षण चल रहा है, विदेश जाने की अनुमति के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। यदि ऐसी अनुमति प्रदान की जाती है, तो याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी, पासपोर्ट विभाग, भारत सरकार के समक्ष पासपोर्ट जारी करने हेतु उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें उपर्युक्त निर्णय और अधिसूचना दिनांक 25.08.1993 का उल्लेख किया गया हो, जिसका इस विषय पर कानून के आलोक में तदनुसार विचार किया जाएगा।”

8. उपरोक्त निर्णय के आलोक में, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) एफटीसी प्रथम/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि से गलत है।

9. भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या जीएसआरएस70(ई) प्रख्यापित की है। उक्त अधिसूचना के दिशानिर्देश नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"जीएसआर 570(ई).- पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (15 वर्ष 1967) की धारा 22 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जीएसआर 298(ई), दिनांक 14 अप्रैल, 1976 को निरस्त करते हुए, केंद्र सरकार, यह मानते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत के उन नागरिकों को छूट देती है जिनके विरुद्ध भारत में किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में कार्यवाही लंबित है और जो संबंधित न्यायालय से उन्हें भारत से प्रस्थान करने की अनुमति देने वाले आदेश प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (एफ) के प्रावधानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:-

(ए) प्रत्येक ऐसे नागरिक को जारी किया जाने वाला पासपोर्ट जारी किया जाएगा--

(i) उपरोक्त में न्यायालय के निर्दिष्ट आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए, यदि न्यायालय पासपोर्ट जारी करने की अवधि निर्दिष्ट करता है; या

(ii) यदि ऐसे आदेश में पासपोर्ट जारी करने या विदेश यात्रा के लिए कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो पासपोर्ट एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।

(iii) यदि ऐसा आदेश एक वर्ष से कम अवधि के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देता है, लेकिन पासपोर्ट की वैधता अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है, तो पासपोर्ट एक वर्ष के लिए जारी किया जाएगा; या

(iv) यदि ऐसा आदेश एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देता है, और पासपोर्ट की वैधता निर्दिष्ट नहीं करता है, तो पासपोर्ट आदेश में निर्दिष्ट विदेश यात्रा की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।

(बी) उपरोक्त खंड (ii) और (iii) के अनुसार जारी किया गया कोई भी पासपोर्ट एक बार में एक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदक ने न्यायालय द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए विदेश यात्रा न की हो; और यह भी कि इस बीच न्यायालय का आदेश रद्द या संशोधित न किया गया हो;

(सी) उपरोक्त (i) के अनुसार जारी किए गए किसी भी पासपोर्ट का नवीनीकरण केवल एक नए न्यायालय आदेश के आधार पर किया जा सकता है जिसमें पासपोर्ट की वैधता की अवधि को आगे बढ़ाया गया हो या विदेश यात्रा के लिए अवधि निर्दिष्ट की गई हो;

(डी) उक्त नागरिक, पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी को लिखित में यह वचन देगा कि यदि संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता हो तो वह किसी भी समय इस प्रकार जारी किए गए पासपोर्ट की वैधता की निरंतरता के दौरान उसके समक्ष उपस्थित होगा।

[संख्या छः/401/37/79] एल.के. पोनप्पा, संयुक्त सचिव. (सीपीवी)"

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिनियम, 1967 की धारा 22 के प्रावधान इस प्रकार हैं:-

"22. छूट देने की शक्ति.-- जहां केंद्र सरकार की राय हो कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक या उचित है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसा वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करें,--

(ए) किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन से छूट देना; और

(बी) जितनी बार संभव हो, ऐसी किसी भी अधिसूचना को रद्द करे और फिर से इसी तरह की अधिसूचना द्वारा उस व्यक्ति या वर्ग को ऐसे प्रावधानों के संचालन के लिए इसके अधीन करें।"

10. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा बताए गए प्रथम दृष्टया कारण भ्रामक हैं। यह मामला 2018 से लंबित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पासपोर्ट प्राधिकारी ने आवेदकों के विरुद्ध उपरोक्त मामला लंबित होने के कारण रिपोर्ट प्रस्तुत करने को अस्वीकार कर दिया है। यह देखा गया है कि पासपोर्ट आवेदनों के संबंध में प्राप्त होने वाले संदर्भों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कई आधारसंदर्भ और अनुदेश दिए गए हैं।

11. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने **मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1978) एआईआर एससी 597** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पासपोर्ट होना भारत के नागरिक का मौलिक अधिकार है और किसी भी नागरिक को इस मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें आगे संप्रेक्षित किया गया है कि पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदकों को यह घोषणा करनी होगी कि उन्हें भारत में किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी आपराधिक अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं किया गया है और न ही उन्हें दो वर्ष या दो वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश दिया गया है, साथ ही अन्य प्रासंगिक जानकारी भी देनी होगी। यह निर्विवाद है कि आवेदक पूर्व में दोषी नहीं ठहराया गया है।

12. मैंने आक्षेपित आदेश और अन्य संबंधित सामग्री का अध्ययन किया है। आवेदक, वाद संख्या 3681 वर्ष 2018 के अभियुक्त हैं, जो मामला अपराध संख्या 624 वर्ष 2017 से उत्पन्न है और धारा 406, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पुलिस स्टेशन मुगल सराय, जिला चंदौली

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में है। अधिसूचना दिनांक 25.8.1993 के अनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिबंध पूर्णतः लागू नहीं होता।

13. भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) और 21 के अंतर्गत वर्णित, तथ्यों और कानून की स्थिति तथा **मेनका गांधी** (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को देखते हुए, आदेश दिनांक 10.04.2026 रद्द किए जाने योग्य है।

14. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और कानून की स्थिति के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है और आक्षेपित आदेश दिनांक 10.04.2026 को एतद्वारा रद्द किया जाता है तथा आवेदकों को पासपोर्ट प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।

15. क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकारी, लखनऊ को निर्देश दिया जाता है कि वह नियमावली के अनुसार आवेदकों को यथाशीघ्र पासपोर्ट जारी करे।

2 जून, 2026

एमएए/-

(न्यायमूर्ति संजय कुमार पचोरी)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।